

७४७/ज
14.2.2024

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़
सहीराम बनाम सन्तराम आदि
प्र.प. अन्तर्गत धारा आदेश 09 नियम 09 सी.पी.सी. प्रकरण संख्या 53 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
18.07.2024	आज यह प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 09 सी.पी.सी व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम वकील प्रार्थी द्वारा पेश किया गया। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। मूल वाद के प्रतिवादी सं. 2 इमीचन्द ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादपत्र को पुनः खोले जाने से पूर्व प्रतिवादी को सुना जावे। अतः पत्रावली वास्ते जबाब प्रतिवादी सं. 2 व वादपत्र के शेष प्रतिवादीगण की तल्बी हेतु आईन्दा तारीख 29.07.2024 को पेश हो।	
22.7.2024	<p>कुलाए 10 सेकन उपस्थित/PU साइड रिज्जकार्ड प्रेजेंट है। पत्रावली युनिसन वास्तु <u>दीदी</u> दिनांक <u>27.9.2024</u> क पेश है <u>मुक्त</u></p>	
27.9.2024	<p>कुलाए 10 सेकन उपस्थित/PU साइड रिज्जकार्ड प्रेजेंट है। पत्रावली युनिसन वास्तु <u>दीदी</u> दिनांक <u>20/12/2024</u> क पेश है <u>मुक्त</u></p>	
20/12/24	<p>कुलाए 10 सेकन उपस्थित/PU साइड रिज्जकार्ड प्रेजेंट है। पत्रावली युनिसन वास्तु <u>दीदी</u> दिनांक <u>14/2/2024</u> क पेश है <u>मुक्त</u></p>	
14.2.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील कडी उपस्थित नहीं। वकील कडी व कडी स्वयं को बार-बार अट्रान्ज लगाई छिट भी हाजिर नहीं बरफ पा अइम हाजरी व अइम परती में खामीज किया जा रहा है। पत्रावली नम्बर से अठ की जाकर पत्रावली न वकील जाइल हाजिर हफ्तर हो।</p>	

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

